शादी
लेखक
मुहम्मद बिन सालेह उसैमीन
प्रकाशक
अददारुस्सलफिया
दिल्ली मुम्बई मालेगाँव

लेखक

मुहम्मद बिन सालेह उसैमीन

अनुवाद

अहमद नदीम नदवी

प्रकाशक

अददारुस्सलफ़िया

मुम्बई

नाम किताब : शादी

लेखक : मुहम्मद बिन सालेह उसैमीन

अनुवादक : अहमद नदीम नदवी

प्रकाशक : अददारुस्सलफ़िया, मुम्बई

कम्पोज़िंग : भावे प्रा० लि०, मुम्बई

मुद्रक : भावे प्रा० लि०, मुम्बई

हिन्दी एडीशन

Second Edition : 2001 1000

मूल्य : : **15/-**

मिलने के पते

- **दारूल मारिफ़,** 13, मुहम्मद अली बिल्डिंग
  भिंडी बाज़ार, मुम्बई नं० 3
  फोन : 3716288—फैक्स 3065710
- **दारूल मारिफ़,** 2684 गली मस्जिद, काले ख़ां,
  कूचा चीलान, दरियागंज, नई दिल्ली-2
  फोनं : 3277253, 3265058
- **दारूल मारिफ**
  मनसूरा, मालेगाँव, जिला नासिक

विषय-सूची

अपनी बात 3

दो शब्द 6

पहला अध्याय 13

- निकाह का शाब्दिक अर्थ 13
- निकाह का शरई अर्थ 13

दूसरा अध्याय 14

- निकाह की हिक्मत 14

तीसरा अध्याय 15

- निकाह की शर्तें 15
- मियां-बीवी की रज़ामंदी 15
- वली 16

चौथा अध्याय 19

- शादी के लिए औरत में चाहे गए गुण 19
- देखने में बेहतर 19
- भीतर से भी बेहतर 19

पांचवां अध्याय 21

- शादी की वजह से हराम होने वाली औरतें 21
- महरम औरतों की दो क़िस्में 21
- हमेशा के लिए महरम औरतें 21
- ख़ून के लिए महरम औरतें 21
- दूध में शिरकत की वजह से महरम होने वाली औरतें 22
- एक मुद्दत तक हराम होने वाली औरतें 25

छठा अध्याय 26
- शादी की जायज़ तायदाद 26
- चार बीवियों की हद बन्दी क्यों ? 27

सातवां अध्याय 29
- निकाह की हिक्मत व मस्लहत 29
- निकाह की कुछ हिक्मतें 29
- बर्थ कन्ट्रोल की ज़रूरत क्यों ? 31

आठवां अध्याय 34
- निकाह के बाद के हुक्म 34
- 1. महृ 34
- 2. नफ़क़ा (गुज़ारा-भत्ता) 36
- 3. शौहर-बीवी के आपसी ताल्लुक़ 37
- 4. हुर्मत 37
- 5. विरासत 37

नवां अध्याय 39
- तलाक़ का शरई हुक्म और उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें 39

दसवां अध्याय 42
- तलाक़ के कुछ मसले 42

अपनी बात

शादी-ब्याह इंसानी ज़िंदगी की प्राकृतिक आवश्यकता है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इसका वास्ता पड़ता है। इस्लाम जो प्राकृतिक धर्म है, उसने शादी-ब्याह के सिलसिले में बड़े हिक्मत भरे नियम बनाए हैं जिनकी वजह से इस अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने में न किसी को कष्ट होता है और न वह तंगी महसूस करता है।

इस पुस्तक में इस्लामी जगत के मशहूर आलिम और विद्वान अल्लामा शेख़ मुहम्मद सालेह अल उसैमीन के शादी-ब्याह के बारे में इस्लाम की हिक्मत भरी तालीमात (शिक्षाओं) का बड़े असान और प्रभावी ढंग से उल्लेख किया है, जिसमें किताब व सुन्नत की पक्की और मज़बूत दलीले हैं।

लेखक ने इस छोटी-सी पुस्तक में तलाक़ का भी उल्लेख किया है। लेकिन शायद पृष्ठों की कमी का ख़्याल रखते हुए इसमें तलाक़ के अहम अंश यानी एक मज्लिस की तीन तलाक़ों के एक रजअी (वापसी) होने का उल्लेख नहीं किया है, जबकि यह एक अहम मसला है, जिसका हल किए बिना मुसलमानों का सामाजिक सुधार संभव नहीं।

और किताब व सुन्नत की क़तई दलीलों से यह साबित है कि एक मज्लिस में दी हुई तीन तलाक़ें एक रजई गिनी जाती हैं, बहरहाल कुल मिलाकर यह पुस्तक अपने विषय पर संक्षिप्त लेकिन बहुत ठोस और लाभदायक है।

इदारा अददारुस्सलफ़िया इस मुफ़ीद पुस्तक के छपने पर प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करता है, साथ ही पुस्तक के लेखक, अनुवादक के लिए भी दुआ करता है। अल्लाह इस फ़ायदेमंद दीनी ख़िदमत को क़ुबूल फ़रमाए। आमीन

मुख़्लिस

मुख़्तार अहमद नदवी

मुदीर अददारुस्सलफ़िया, मुम्बई

दो शब्द

इन्नल हम-द लिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़्फ़िरहू व नतूबु इलैहि व नअज़ु बिल्लाहि मिन शुरुरि अन्फ़ुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मंय्याह्दि हिल्लाहु फ़ला मुज़िल-ल लह व मंय्युज़्लिलहु फ़ला हादि-य लहू व अश्हुदअल्ला इला-ह इल्लल्लाह वहदहू ला शरी-क लहू व अश्हदु अन-न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला आलिही व अस्हाबिही व सल्ल-म तस्लीमन कसीरा०

हम्द व सना के बाद इस सच्चाई पर रोशनी डालना चाहता हूं कि 'कुल्लीयतुश शरीअ:' व 'कुल्लियतुल लुग़तिल अरबिय्य: अलक़सीम' के कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत करके मुझे बेहद ख़ुशी हुई। इस शिरकत से मुझे भी फ़ायदा पहुंचा और अल्लाह ने चाहा, तो मेरी तक़रीर पढ़ने और सुनने वालों को भी पूरी तरह फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमारे तमाम कामों को अपनी ख़ुशी और मर्ज़ी के मुताबिक़ बनाए और हमारे भीतर इख़्लास (निष्ठा) पैदा फ़रमाए।

हम यहां मूल विषय पर वार्ता करने से पहले एक बात रखना चाहते हैं, जो अल्लाह ने चाहा तो हर पहलू से मुनासिब होगा।

मेरे मोहतरम भाइयो और बुज़ुर्गों! जैसाकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज के युग में इस्लाम को कई एक चुनौतियों का सामना है और कई दिशाओं से इस पर हमले हो रहे हैं जैसे—

1. फ़िक्री (चिन्तनात्मक) हमला,
2. अख़्लाक़ी (नैतिक) हमला,
3. एतक़ादी (विश्वास परक) हमला।

जब भी इस्लाम पर धावा बोला जाए और हमला ज़ोर-शोर से हो, तो ऐसे मौक़े पर ज़रूरी होता है कि उसका जवाब भी उससे भी ज़्यादा ताक़त के साथ और बड़े पैमाने पर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो

इसका खुला मतलब इस्लाम का ख़ात्मा है।

यह दायित्व विद्वानों और धार्मिकों के कंधों पर है। उन पर आज समय की डाली हुई ज़िम्मेदारी है कि जहां तक हो सके, हर ओर से आने वाले हमलों का मुक़ाबला करें और यथासंभव उनको मुस्लिम समाज में फलने-फूलने से रोकें, इसलिए कि ये गर्म हवाओं के वे झोंके हैं, जिनसे आज मुस्लिम जगत हैरान व परेशान है। समझ में नहीं आता कि उसका मुक़ाबला किस तरह किया जाए।

हम इस्लाम दुश्मनों को यह कहते सुनते आ रहे थे कि चूंकि सऊदी अरब इस्लाम का गढ़, मुसलमानों का क़िब्ला व काबा है, इसलिए विध्वंस की सारी कोशिशें उसी धरती पर केन्द्रित होनी चाहिए। चुनांचे आज उसकी व्यावहारिक पुष्टि हो रही है। अपनी आंखों के सामने देखिए कि इस धरती को फ़िक्री (चिन्तनात्मक) और अख़्लाक़ी (नैतिक) तौर पर बर्बाद करने के लिए कैसे-कैसे ख़तरनाक हमले हो रहे हैं और इसके चारों ओर किस तरह योजना बनाकर धोखाधड़ी के जाल बिछाए जा रहे हैं और उसको ख़त्म करने के लिए सारी कोशिशें उसी की ओर केन्द्रित की जा रही हैं। आज अगर हमारे निष्ठावान उलेमा, विद्वान इन दुश्मनों के आगे बांध बांधने के लिए उठ खड़े न हुए, तो कल बिगाड़, फ़ित्ना, मुसीबतों, परेशानियों का सर उठाना यक़ीनी है। और वह दिन दूर नहीं कि इस्लाम के दुश्मन हमारे शहरों का चक्कर लगाएंगे, उस वक़्त वह सब कुछ देखने में आएगा, जिसे हम नापसन्द करेंगे।

इन तूफ़ानों को देखते हुए हम पर जो दायित्व बनते है वे नीचे दिए जा रहे हैं—

1. मिल-जुलकर होने वाली दावत व तब्लीग़ (प्रचार-प्रसार)
2. मिल-जुलकर होने वाली कोशिश,
3. दुश्मनों को हस्तक्षेप का मौक़ा न देना।

हमें इस सच्चाई के बताने में तनिक भी संकोच नहीं कि इन दायित्वों

पर हमने ध्यान नहीं दिया है, इसमें का हर एक अपनी जगह अकेला है। एक उद्देश्य के लिए दो व्यक्तियों का मेल बहुत कम नज़र आएगा। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक रास्ते पर दो आदमियों का चलना शायद ही नज़र आए, चाहे दोनों की मंज़िल एक ही हो।

इस सच्चाई को देखते हुए सऊदी अरब के तमाम उलेमा पर ज़रूरी है कि एक कलिमा पर एकमत पर हो जाएं, चाहे वे रियाज़ के हों या हिजाज़ के, क़सीम के हों या फिर इस देश के अन्य नगरों के। सब पर ज़रूरी है कि आज एक प्लेटफार्म पर जमा होकर गम्भीरता के साथ समस्याओं और कठिनाइयों का अध्ययन करें और अच्छी तरह उसकी छान-बीन करें, इसलिए कि ये समस्याएं और कठिनाइयां बहुत ही ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर पर प्रचार माध्यम, कल्चर, पाठ्यक्रम और शिक्षा-पद्धति जैसी बुनियादी समस्याएं, जिनकी वजह से आम लोग अपने दीन (धर्म) की बुनियादी बातों से हटने और दूर होने के शिकार होते हैं।

आज हमारे सामने यह भी दुखद सच्चाई है कि हमारे छात्र और विद्वान अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं और अपने आपको दुनिया हासिल करने की कोशिशों में खपा रखा है। यह वह चीज़ है जिसने एक ओर उनकी दावत (आह्वान) के असर को ख़त्म कर दिया है और दूसरी ओर जनता में उनकी लोकप्रियता और असर व रसूख़ को मिटा दिया है।

इसमें कोई शक नहीं कि एक आलिम (विद्वान) का चरित्र और व्यवहार समाज में बड़ा असर रखता है। जब जनता यह देखेगी कि हमारे उलेमा भी बाज़ारी लोगों की तरह दुनिया पर मर-मिट रहे हैं, तो यक़ीनी तौर पर उनके दिलों से उलेमा की महानता समाप्त हो जाएगी और उनकी बातों का कुछ भी प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा।

इसी तरह हम पर यह ज़रूरी है कि सोचने-समझने वालों के साथ हितैषिता का मामला करें, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

फ़रमाया—

'दीन ख़ैर ख़्वाही (हितैषिता) का नाम है।'

ताकीद के लिए तीन बार फ़रमाया।

लोगों ने पूछा 'किसके लिए? ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल० !'

आपने फ़रमाया, 'अल्लाह के लिए, उसकी किताब केलिए, उसके रसूल के लिए और विद्वानों और आम मुसलमानों के लिए।'

इसलिए सोचने-समझने वाले विद्वानों की हितैषिता ज़रूरी है, इसलिए भी जब विद्वानों के हितैषी (ख़ैर ख़्वाह) अधिक होंगे और चारों ओर से उनको सही स्थिति से अवगत कराते रहेंगे और हर ओर से उनको नसीहत की जाएगी तो निश्चय ही वे नसीहत की ओर झुकेंगे और उस राह पर चलेंगे जिसके लिए अल्लाह से दुआ है कि उस पर चलने की उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

आम लोगों के बारे में भी यह कहना है कि उनकी अधिकतर मस्जिदों के इमाम अज्ञानी और अनपढ़ हैं। वाज़ व नसीहत और लोगों से मिलने-जुलने से बेपरवाह हैं। कुछ दिनों पहले यानी मुसलमानों पर दुनिया के दरवाज़े खुलने से पहले मस्जिद का हर इमाम कुछ दीनी किताबें पढ़ कर नमाज़ियों को सुनाया करते और फ़ायदा पहुंचाया करते थे। लेकिन आज अक्सर मस्जिदों में कुछ नहीं पढ़ा जाता और न ही इमाम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। यही वजह है कि आज की जनता दीनी मसलों और हुक्मों को नहीं जानते। यह सब विद्वानों की कोताही की वजह से है। अब हम पर ज़रूरी हो गया है कि हम एक जगह जमा हों और अपनी कोशिशों को इकट्ठा करके किसी ठिकाने लगाएं और अपने सोचने-समझने वालों का हित चाहें और आम लोगों को मस्जिदों में दीनी बातें बताने की कोशिश करें, मस्जिदों के अलावा भी सड़कों, घरों और दूसरी जगहों पर, जहां तक संभव हो, उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें।

एक ध्यान देने की बड़ी ख़राबी यह भी है कि आज हमारे जवानों और

बूढ़ों के बीच बड़ी लम्बी और चौड़ी खाई रोक बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारे नव-जवान हैरान व परेशान और रास्ता भूले हुए हैं। इसमें भी कोताही उम्र वालों की है, जो आम तौर पर नवजवानों पर तवज्जोह नहीं देते और न ही नवजवानों की कोई बात संजीदगी से सुनते हैं, चाहे वह कितनी ही सही बात कहे। ज़रूरी है कि हम उन नवजवानों के साथ हों और उनकी बेदीनी और दीन से दिलचस्पी न होने की वजह मालूम करें, यहां तक कि जब हमें रोग मालूम हो जाए, तो उसे दूर करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा मौजूदा रवैया यह है कि जब हम कुछ नवजवानों के बारे में कुछ अप्रिय तौर-तरीक़ों की ख़बर सुनते हैं, तो हम तमाम नवजवानों से बद-गुमान हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते, बल्कि उनसे बचते हैं और उनको हर जगह भला-बुरा कहते हैं और उनके मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि हीन दृष्टि से देखते हैं।

यही वह रवैया है जिसने जवानों को, बूढ़ों और विद्वानों और दीनदारों से दूर किया है, ताकि शैतान जिधर चाहें, उनको बहका कर ले जाएं।

मेरे भाइयों और दोस्तो! ज़रूरी हो गया है कि इस अहम मसले पर संजीदगी से विचार करें और भरपूर तवज्जोह दें और इस सिलसिले में अब और अधिक कोताही न करें।

आज हमारे अध्यापकों पर मुख्य रूप से यह दायित्व आता है कि छात्रों को इस्लामी सभ्यता से लैस करने के लिए भरपूर कोशिश करें और हुज़ूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शिक्षाओं पर चलने को उभारें और दीन की सच्चाई को बताएं और शरीअत के हुक्मों के साथ-साथ शरीअत के रहस्यों-भेदों और तत्वों को खुले तौर पर बयान करें, इसलिए कि हमारे विचार से आज की शिक्षा मुख्य रूप से ऊंची शिक्षा में एक कमी है, वह यह कि कुछ अध्यापक शिक्षा को रूखा-सूखा बनाकर पेश करने में और मसलों और हुक्मों की दलीलों और हिक्मतों को स्पष्ट नहीं करते।

यह सच है कि एक मोमिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों का पाबन्द है, चाहे उसकी हिक्मत और फ़ायदे का ज्ञान हो या न हो, जैसा कि अल्लाह ने फ़रमाया—

'और किसी मोमिन औरत को हक़ नहीं है कि जब ख़ुदा और उसका रसूल कोई फ़ैसला मुक़र्रर कर दें, तो वे इस काम में अपना भी कुछ अधिकार समझें। (सूरः अहज़ाब : 36)

लेकिन जब उन्हें हिक्मत व मस्लहत का ज्ञान होगा तो और अधिक संतोष रहेगा और शरीअत की ओर तवज्जोह और उसे लागू करने की भावना में वृद्धि होगी। इसीलिए मैं अपने अध्यापक भाइयों को इस बात पर उभार रहा हूं कि छात्रों के सामने ज्ञान को ताज़ा व ज़िंदा बनाकर पेश करें कि जिससे दिलों को गति, मन को पावनता, सीने में उदारता मिले और ज़ेहन व दिमाग़ का झुकाव अपने आप उधर हो और दिल को सुकून व इत्मीनान हासिल हो।

अब मैं मूल विषय की ओर पलटता हूं। मेरी वार्त्ता का विषय है—

'शादी, उसके प्रभाव और उसके बारे में हक़ और ज़िम्मेदारियां'

शादी के महत्व और उसके हुक्म और मस्अले से आम लोगों की अज्ञानता और उसके ताल्लुक़ से उन दूसरी सामूहिक कठिनाइयों को देखते हुए, जिसे हर निष्ठावान और हित चाहने वाला व्यक्ति हल करना चाहता है, मैंने इस विषय को चुना, इसलिए कि परेशानियों और कठिनाइयों को जितना ही वार्त्ता का विषय बनाया जाएग और उस पर भरपूर रोशनी डाली जाएगी, उतना ही उसके हल की राहें हमवार होती जाएंगी और अगर इनसे उदासीनता दिखाई जाए और आंखें चुरा ली जाएं तो वह अपनी जगह पर क़ायम रहेंगी और उनमें और अधिक पेचीदगी पैदा होती जाएगी।

इस विषय के दस अध्याय बनाए गए हैं जो नीचे लिखे जा रहे हैं—

पहला अध्याय—निकाह का शरई और शाब्दिक अर्थ,

दूसरा अध्याय—निकाह की हिक्मत,

तीसरा अध्याय—निकाह की शर्तें

चौथा अध्याय—शादी के लिए औरत में अभीष्ट गुण

पांचवां अध्याय—शादी की वजह से हराम होने वाली औरतें

छठा अध्याय—शादी की जायज़ तायदाद

सातवां अध्याय—निकाही की हिक्मत व मस्लहत

आठवां अध्याय—निकाह में पड़ने वाले प्रभाव—मह्र, गुज़ारा-भत्ता, ससुराली रिश्ता, महरम, मीरास,

नवां अध्याय—तलाक़ का शरई हुक्म और उसकी ध्यान देने योग्य बातें,

दसवां अध्याय—तलाक़ से मुताल्लिक़ कुछ और हुक्म और मसअले।

वस्सलामु अलैकुम

मुहम्मद बिन सलेह अल उसैमीन

पहला अध्याय

निकाह का शाब्दिक अर्थ

निकाह का अर्थ कभी विवाह होता है और कभी संभोग।

अल्लामा अबू अली क़ालीर फ़रमाते हैं कि इस अन्तर को समझने के लिए अरबों ने बड़ी सूक्ष्म (बारीक) दृष्टि से काम लिया है, जिससे आसानी के साथ यह समझा जा सकता है कि किस निकाह का अर्थ विवाह है और किस जगह सम्भोग।

जैसे, जब यह कहा जाए कि फ्लानी या फ़्ला की लड़की ने निकाह कर लिया, तो इसका अर्थ विवाह है और जब उसने अपनी औरत या बीवी से निकाह किया तो इससे तात्पर्य सम्भोग है।

निकाह का शरई अर्थ

मर्द और औरत के बीच ऐसा समझौता व बन्धन जो इस मक़्सद से हुआ हो कि उनमें का हर एक दूसरे से आनन्दित होगा और एक नेक और भले वंश की नींव डालेगा और पाक-साफ़ समाज क़ायम करेगा।

यहीं से यह बात भी स्पष्ट होती है कि निकाह का मक़्सद सिफ़्र आनन्द लेना ही नहीं, बल्कि उसके साथ नेक वंश और पाक समाज का गठन भी है, लेकिन व्यक्ति या स्थिति की दृष्टि से इन दोनों मक़्सदों में से कोई एक मक़्सद ग़ालिब रहता है।

दूसरा अध्याय

निकाह की हिक्मत

निकाह अपने आप में एक शरई अमल है और हर शहवत (वासना) वाले और ताक़त वाले पर निकाह ज़रूरी है। यह नबियों की सुन्नतों में से एक है, अल्लाह का फ़रमान है—

'और हमने आपसे पहले कई एक रसूल भेजे हैं और उनको बीवियां भी दी और औलाद भी।' (सूरः राद 38)

ख़ुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शादी की और फ़रमाया कि—

'मैं औरतों से निकाह भी करता हूं। इसलिए जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, वह हम में से नहीं।'

इसी की रोशनी में इस्लामी उलेमा का कहना है कि शहवत के साथ शादी करना नफ़्ल इबादतों से अफ़ज़ल है, इसलिए कि इसमें बहुत-सी मस्लहतें और फ़ायदे और अच्छे प्रभाव छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ का ज़िक्र अल्लाह ने चाहा, तो आगे आएगा।

निकाह करना कभी-कभी वाजिब हो जाता है। यह उस वक़्त जब आदमी पर शहवत का ग़लबा हो और शादी न करने पर हरामकारी में पड़ने का डर हो। उस वक़्त उस पर ज़रूरी है कि अपनी पाक दामनी को बचाने और अपने आपको हरामकारी में पड़ने से बचे रहने के लिए शादी कर ले।

प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि—

'ऐ नवजवानो! तुम में से जो लोग शादी की ताक़त रखते हों, वह ज़रूर शादी करें, इसलिए कि शादी नज़र को नीचे रखने वाली, शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाली है और जो इसकी ताक़त नहीं रखता, वह रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ा शहवत के लिए ढाल है।

तीसरा अध्याय

निकाह की शर्तें

इस्लामी निज़ाम (व्यवस्था) की ख़ूबी और इस्लामी क़ानूनों की बारीकी यह है कि उसने तमाम समझौतों के लिए ऐसी शर्तें रखी हैं कि जिनसे उनमें ज़ाबता (विधान) पैदा हो जाता है और उनके लागू करने की मुद्दत की एक सीमा तै हो जाती है। इस्लाम ने हर समझौते के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसके बिना वह पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए यह खुली हुई दलील है इस्लामी शरीअत की मज़बूती की और इस बात की कि यह शरीअत किसी ऐसे हकीम व ख़बीर की ओर से आई है जो अच्छी तरह जानता है कि इंसान की इस्लाह और भलाई किस में है, इसलिए वह उसी चीज़ को ज़रूरी करता है, जिससे उसके दीन व दुनिया का सुधार हो, ताकि मामले इस तरह बिखराव और बिगाड़ का शिकार न हों कि उसका कोई सिरा ही न मिले।

मियां-बीवी की रज़ामंदी

किसी मर्द को किसी ऐसी औरत के लिए मजबूर करना सही नहीं, जिसे वह नापसंद हो, इसी तरह किसी औरत को किसी ऐसे मर्द से शादी के लिए मजबूर करना सही नहीं, जिसे वह नापसन्द करती हो। अल्लाह ने फ़रमाया—

'मुसलमानो! तुमको जायज़ नहीं कि जबरदस्ती से औरतों के मालिक बन जाओ।' (सूरः निसा : 19)

नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'विधवा का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं किया जाएगा और कुंवारी का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं किया जाएगा। लोगों ने

पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! इसकी इजाज़त किस तरह होगी? आपने फ़रमाया, उसकी ख़ामोशी उसकी इजाज़त है।' (मुस्लिम)

इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम से मना फ़रमाया है कि औरत की शादी उसकी रज़ामंदी के बग़ैर न की जाए चाहे वह कुंवारी हो या ब्याही, ब्याही के लिए तो रज़ामंदी का ज़ुबान से कहना ज़रूरी, लेकिन कुंवारी की ख़ामोशी ही उसकी रज़ामंदी है, इसलिए कि वह रज़ामंदी ज़ाहिर करने में शायद शर्म से काम ले।

औरत जब शादी से इंकार कर दे, तो फिर किसी के लिए जायज़ नहीं कि उसको मजबूर करे, चाहे उसके बाप ही क्यों न हों, इसलिए कि हुज़ूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'कुंवारी से उसके बाप इजाज़त मांगेंगे।' (मुस्लिम)

ऐसी स्थिति में अगर उसके बाप उसकी शादी न करें, तो उन पर कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि औरत ने ख़ुद ही इंकार किया है, लेकिन पिता पर ज़रूरी है कि अपनी लड़की की रक्षा करे और उसे बचाए।

अगर उसे दो मर्द पैग़ाम दें और वह कहे कि मैं फ्लां को चाहती हूं और उसका वली कहे कि दूसरे से शादी करो, तो उसकी शादी उसी मर्द से की जाएगी, जिसे वह चाहेगी। उस वक़्त यह देखा जाएगा कि जिसे वह चाहती है, वह उसका कुफ़्व (एक ही स्टेटस का) हो और अगर कुफ़्व न हो तो उसके वली को अधिकार है कि उसे रोक दे। इस स्थिति में वली पर कोई गुनाह नहीं।

वली

वली के बिना निकाह सही नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि—

'वली के बिना निकाह सही नहीं है।'

अगर कोई औरत अपनी शादी ख़ुद कर ले, तो उसका निकाह बातिल

(ग़लत) है, चाहे निकाह किया हो या किसी वकील के ज़रिए से किया हो।

वली औरत के लोगों (अस्बा) ख़ूनी रिश्ते में से कोई आक़िल (अक़्ल वाला), बालिग़, नेक आदमी होता है, जैसे बाप, दादा, लड़का, पोता या उसके नीचे वाले लड़के, सगा भाई, अलाक़ी भाई (मां की ओर से सौतेला भाई) सगा चचा, अलाक़ी चचा और उनके लड़के।

तर्तीब (क्रम) में पहले क़रीब के रिश्तेदार आएंगे, फिर उससे दूर के।

अख़याफ़ी (बाप की ओर से सौतेला) भाई वली नहीं हो सकता और न उसके लड़के हो सकते हैं और न ही नाना और मामूं हो सकते हैं। इसलिए कि अस्बा (क़रीबी रिश्तेदार) में से नहीं हैं।

जब निकाह में वली का होना ज़रूरी है, तो वली पर यह ज़रूरी है कि अगर पैग़ाम देने वाले कई एक हों, तो सबसे ज़्यादा कुफ़्व और सबसे लायक़ का चुनाव करे और जब पैग़ाम देने वाला एक ही हो और वह कुफ़्व हो और लड़की उससे राज़ी हो, तो उससे शादी कर देना वाजिब है।

यहां पर उस भारी ज़िम्मेदारी का अन्दाज़ा लगाना ज़रूरी है जो एक वली पर होती है, उस औरत के बारे में, जिसका अल्लाह ने उसको वली बनाया है। यह एक ऐसी अमानत है जिसकी रियायत और सही मौक़े पर उसका इस्तेमाल वली पर फ़र्ज़ है और निजी स्वार्थ और लाभ के लिए उसको रोक रखना और किसी लालच से ग़ैर-कुफ़्व से उसकी शादी करना सही नहीं है, क्योंकि यह उसमें ख़ियानत है। अल्लाह ने फ़रमाया—

'मुसलमानो ! ख़ुदा और रसूल की नाफ़रमानी और आपस में एक दूसरे की ख़ियानत न करना।' (सूरः अनफ़ाल 27)

एक दूसरी जगह फ़रमाता है—

'और अल्लाह कभी किसी ख़ियानत करने वाले और नाशुक्रे से मुहब्बत नहीं करता।' (सूरः हज 38)

रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस सिलसिले में यह फ़रमाया—

'तुम सब ज़िम्मेदार हो और तुम अपने मातहतों के बारे में जवाबदेह होंगे।' (बुख़ारी)

समाज में कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जिनकी लड़की के सिलसिले में कोई कुफ़्व मर्द पैग़ाम भेजे, तो बे-वजह उसको लौटाया जाता है, इसी तरह अलग-अलग पैग़ाम भेजने वालों को भी वापस कर दिया जाता है, इसलिए जो बाप ऐसा हो, उसकी विलायत (वली होना) ख़त्म हो जाएगी और दूसरा क़रीबी वली उसकी विलायत का हक़दार होगा।

चौथा अध्याय

शादी के लिए औरत में चाहे गए गुण

'निकाह' आनन्दित होने, नेक ख़ानदान और भले समाज के गठन के लिए किया जाता है, जैसा कि ऊपर बयान किया गया।

इसी वजह से यह ज़रूरी है कि ऐसी औरत से शादी की जाए, जो दोनों उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता रखती हो यानी देखने में भी बेहतर हो और भीतर से भी बेहतर हो।

देखने में बेहतर

जिस्मानी तौर पर स्वस्थ हो, इसलिए कि औरत देखने में जितनी सुन्दर और उसकी ज़ुबान में जितनी मिठास होगी, उसे देखकर उतना ही आंखों को ठंडक महसूस होगी, कान अपने आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, जिसकी वजह से उसके लिए दिल में खुलापन और मन में सुकून व इत्मीनान पैदा होगा और अल्लाह का वह क़ौल सही होगा—

'और उसकी निशानियों में से एक यह भी है कि उसने तुम्हारी जाति से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं, ताकि तुम उनके साथ लगाव प्राप्त करो और उसने तुम में प्यार और दया पैदा किया है।' (सूरः रूम 21)

भीतर से भी बेहतर

दीन व अख़्लाक़ में कोई कमी न हो, इसलिए कि औरत जितनी दीनदार और अच्छे अख़्लाक़ वाली होगी, उतनी ही लोकप्रिय होगी और चाही जाएगी। दीनदार औरत अल्लाह के हुक्म को मानने वाली, अपने शौहर और औलाद व माल की रक्षा करने वाली होगी, अल्लाह की इताअत में शौहर की मदद करने वाली होगी। अगर शौहर भूल जाए तो वह याद दिलाएगी, अगर सुस्ती दिखाए तो हरकत में लाएगी और अगर

गुस्सा हो जाए तो राज़ी कर लेगी।

एक अच्छे अख़्लाक़ वाली औरत अपने शौहर से क़रीब से क़रीबतर होने की कोशिश करेगी, उसका आदर करेगी और शौहर जहां आगे देखना चाहेगा, वहां पीछे न होगी और जहां पीछे देखना चाहेगा, वह आगे न होगी।

रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि कौन-सी औरत सबसे बेहतर है? आपने फ़रमाया, जिसे देखकर ख़ुशी महसूस हो। हुक्म दे तो फ़रमांबरदारी करे और अपने और शौहर के माल में कोई ऐसा सुलूक न करे, जिसे शौहर नापसन्द करता हो।

एक दूसरी जगह आपने फ़रमाया—

'ज़्यादा मुहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चा जनने वालियों से शादी करो क्योंकि मैं तुम्हारे ज़रिए नबियों में ज़्यादा उम्मतियों वाला हूंगा।'

(अबू दाउद)

जब ऐसी औरत मिल जाए, जिसमें ऊपरी व भीतरी दोनों ख़ूबियां हों तो ख़ुदा की तौफ़ीक़ यही बहुत बड़ी सआदत साबित होगी।

पांचवां अध्याय

शादी की वजह से हराम होने वाली औरतें

नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'बेशक अल्लाह ने कुछ फ़र्ज़ तै किए हैं, उन्हें बर्बाद न करो और कुछ सीमाएं तै की हैं, उन्हें लांघो नहीं।

इन्हीं शरई सीमाओं में से जिन्हें अल्लाह ने तै की हैं, निकाह है। हलाल व हराम के एतबार से जहां रिश्तेदारी, दूध की नातेदारी और ससुराली रिश्तेदारी की वजह से ख़ास-ख़ास औरतों को मर्द के लिए हराम क़रार दिया है।

महरम औरतों की दो क़िस्में

ऐसी औरतें जो मर्द पर हराम होती हैं, और जिन्हें महरम कहा जाता है, उनकी दो क़िस्में हैं—

एक क़िस्म तो उन औरतों की हैं जो हमेशा के लिए महरम है, और

दूसरी क़िस्म उन औरतों की जो एक तै शुदा मुद्दत तक के लिए महरम हैं।

हमेशा के लिए महरम औरतें

हमेशां के लिए महरम औरतें तीन तरह की होती हैं—

1. **ख़ून के रिश्ते से महरम**—ये वह सात औरतें हैं जिनका ज़िक्र क़ुरआन मजीद में सूरः निसा में किया गया है—

'तुम्हारी मांएं, बेटियां, बहनें, फूफियां, ख़ालाएं, भतीजियां, और भांजियां तुम पर हराम हैं।'

(1) माओं में माएं दादियां और नानियां दाख़िल हैं।

(2) लड़कियों में अपनी सगी बेटियां, पोतियां, नवासियां और उसके नीचे की लड़कियां हैं।

(3) बहनों में सगी बहनें, अल्लाती (मां की तरफ़ से सौतेली) बहनें और अख़्याफ़ी बहनें (बाप की तरफ़ से सौतेली बहनें) सब दाख़िल हैं।

(4) फूफियों में अपनी फूफी, अपने बाप की फूफी, अपने दादा की फूफी, मां की फूफी और अपनी दादी की फूफी सब दाख़िल हैं।

(5) ख़ालाओं में अपनी ख़ाला, अपने बाप की ख़ाला, अपने नाना की ख़ाला, अपनी मां की ख़ाला और दादी व नानी की ख़ाला सब दाख़िल हैं।

(6) भतीजी में सगे भाई की लड़कियां, अल्लाती भाई की लड़कियां, अख़्याफ़ी भाई की लड़कियां, फिर इनके लड़कों की लड़कियां या इससे भी नीचे की लड़कियां सब दाख़िल हैं।

(7) भांजी में सगी बहन की लड़कियां, अल्लाती बहन की लड़कियां, अख़्याफ़ी बहन की लडकियां और उनके लड़कों और लड़कियों की लड़कियां, चाहे उसके नीचे की ही हों।

2. दूध में शिरकत की वजह से महरम होने वाली औरतें—ये भी हमेशा के लिए महरम औरतों की तरह है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'ख़ून के रिश्ते से जो औरतें हराम हैं, वे दूध में शिरकत की वजह से भी हराम होंगी'।'

दूध की वजह हराम होने वाली औरतों की कुछ शर्ते हैं, जिसका पाया जाना ज़रूरी है, जो नीचे लिखी जाती हैं—

(1) पांच घूंट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अगर कोई बच्चा किसी औरत से चार घूंट पिए, तो वह औरत उस बच्चे की मां नहीं बनेगी, इसलिए कि इमाम मुस्लिम ने हज़रत आइशा रज़ि० से यह रिवायत नक़ल की है, वह फ़रमाती हैं कि पहले क़ुरआन मजीद में हराम करने वाली

दस मालूम घूंटों के सिलसिले में यह आयत उतरी, फिर पांच मालूम घूंटों के ज़रिए दस को मंसूख़ किया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस हाल में दुनिया से तशरीफ़ ले गए कि उसी (पांच घूंट वाले) क़ुरआन की तिलावत की जा रही थी।

(2) दूध का पीना दूध छोड़ने से पहले हुआ हो, यानी यह शर्त ज़रूरी है कि पांचों घूंट बच्चे ने दूध छोड़ने की मुद्दत से पहले-पहले पिए हों और अगर दूध छोड़ने के बाद या कुछ घूंट दूध छोड़ने से पहले और कुछ घूंट दूध छोड़ने के बाद पिए हों तो वह औरत उस बच्चे की मां नहीं होगी।

जब दूध पीने की शर्तें पूरी हो जाएं, तो बच्चा उस औरत का लड़का और उस औरत के लड़के उसके भाई होंगे, चाहे ये लड़के दूध पीने के हों या बाद के और दूध पिलाने वाली मां के शौहर के सारे बच्चे भी उसके भाई हो जाएंगे, चाहे वे उसी औरत के पेट से हों, जिसने उस बच्चे को दूध पिलाया है या दूसरी औरतों से।

यहां पर यह जानना ज़रूरी है कि दूध पीने वाले बच्चे की औलाद को छोड़कर उसके दूसरे रिश्तेदारों का दूध के इस रिश्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसमें दूध का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए उसके सगे भाई के लिए जायज़ है कि उसकी दूध शरीक मां या दूध शरीक बहन से शादी करे, लेकिन दूध पीने वाले बच्चे की औलाद दूध पिलाने वाली और उसके शौहर की औलाद की तरह है, जैसे कि उनके दूध शरीक बाप थे।

3. ससुराल की महरम औरतें—(1) बाप-दादों की बीवियां, चाहे कितनी ही ऊपर चली जाएं, इसी तरह ददिहाली हो या ननिहाली, इसलिए कि ख़ुदा का हुक्म है—

'अपने बाप की ब्याही हुई औरतों से निकाह मत करो।' (सूरः निसा 22)

इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी औरत से शादी करे तो वह औरत उसकी तमाम औलाद पोतों, नवासों या उससे भी नीचे की औलाद पर हराम हो जाती है, चाहे सम्भोग हुआ हो या न हुआ हो।

(2) लड़कों की बीवियां, चाहे कितने ही नीचे जाए, इसलिए कि अल्लाह ने फ़रमाया,

'तुम्हारे सगे बेटों की औरतें भी (हराम है)।' (सूरः निसा 23)

इसलिए जब कोई मर्द किसी औरत से शादी करता है, तो वह उसके बाप-दादा, परदादा सबके लिए हराम हो जाती है, चाहे मां की ओर से हो या बाप की ओर से और यह हुक्म सिर्फ़ निकाह हो जाने से ही लागू हो जाता है, चाहे उस औरत से शौहर-बीवी के ताल्लुक़ात क़ायम हों या न हुए हों।

(3) बीवी की मां, दादी, नानी, परदादी, परनानी वग़ैरह। अल्लाह फ़रमाता है—

'तुम्हारी औरतों की मांएं (तुम पर हराम है)।' (सूरः 3 निसा 23)

इसलिए जब कोई मर्द किसी औरत से निकाह करे, तो उसकी मां, दादी, और नानी सब निकाह होते ही हराम हो जाती हैं, चाहे उससे सम्भोग न किया हो।

(4) 'बीवी की लड़कियां और बीवी के लड़के की लड़कियां, बीवी की लड़की की लड़कियां, चाहे जितने नीचे चले जाएं। इन्हें अरबी में 'रबाइब' कहते हैं। रबाइब और उसकी शाखाएं सब हराम हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि बीवी से सम्भोग भी हुआ हो। अगर सम्भोग से पहले तलाक़ हो जाए तो रबाइब और उसकी शाखाएं हराम न होंगे, अल्लाह के इस फ़रमान की वजह से—

'और तुम्हारी बीवियों की मांएं, जिनसे तुम सम्भोग कर चुके हो, पिछली लड़कियां जो तुम्हारी परवरिश में हों, ये सब तुम पर हराम हैं। हां, अगर तुमने इनसे सम्भोग नहीं किया, तो तुम पर गुनाह नहीं।' (सूरः निसा 23)

इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी औरत से शादी करे और उससे सम्भोग भी करे तो उस औरत की लड़कियां, पोतियां, नवासियां और उससे भी नीचे की लड़कियां सब उसके लिए हराम हो जाएंगी, चाहे इससे पहले

के शौहर से हों या बाद के शौहर से और अगर तलाक़ और जुदाई सम्भोग से पहले हो तो ये रबाइब और शाखाएं हराम न होंगी।

एक मुद्दत तक हराम होने वाली औरतें

1. बीवी की बहन, उसकी फूफी और ख़ाला—ये औरतें उस वक़्त तक हराम हैं जब तक यह दोनों (मियां-बीवी) अलग न हो जाएं, चाहे वह जुदाई तलाक़ ही वजह से क्यों न हुई हो और उसकी इद्दत की मुद्दत भी गुज़र जाए, इसलिए कि अल्लाह ने फ़रमाया—

'और दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा करना भी हराम है।'

(सूरः निसा 23)

इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'किसी औरत को उसकी फूफी के साथ जमा नहीं किया जाएगा और न किसी को उसकी ख़ाला के साथ जमा किया जाएगा।' (बुख़ारी-मुस्लिम)

2. इद्दत गुज़ारने वाली—यानी वह औरत जो दूसरे की इद्दत की मुद्दत में हो। उस वक़्त तक किसी को उससे निकाह की इजाज़त नहीं, जब तक कि उसकी इद्दत न गुज़र जाए। इसी तरह उस वक़्त तक किसी के लिए उसको पैग़ाम देना जायज़ नहीं, जब तक कि इद्दत की मुद्दत ख़त्म न हो जाए।

2. हज और उमरा की वजह से हराम होने वाली औरत—ऐसी औरत से उस वक़्त निकाह सही नहीं है, जब तक वह एहराम से अलग न हो जाए।

इसी तरह और भी बहुत-सी हराम औरतें हैं, फैलाव के डर से उनका ज़िक्र नहीं किया है, लेकन हैज़ निकाह में रुकावट नहीं है, इसलिए हैज़ की हालत में निकाह कर सकता है, लेकिन हैज़ से पाक होने और ग़ुस्ल करने से पहले सम्भोग जायज़ नहीं।

छठा अध्याय

शादी की जायज़ तायदाद

अगर इंसान को इसकी छूट दे दी जाए कि वह जितनी चाहे शादी करे, तो उसमें बिखराव, ज़ुल्म और बीवियों के हक़ों की अदाएगी में कोताही ज़रूरी है। इसी तरह आदमी को एक बीवी का पाबन्द करने में भी फ़ित्ने व फ़साद का डर है, जबकि बीवी के अलावा किसी दूसरे तरीक़े से शहवत पूरी करना हराम है। इसलिए इस्लामी शरीअत ने लोगों को कई बीवियों की इजाज़त दी है, लेकिन उसको सिर्फ़ चार तक बांध दिया है, इसलिए कि यह वह संख्या है जिसके अन्दर रहकर इंसान न्याय और बराबरी के बर्ताव को क़ायम रख सकता है, बीवी के हक़ को भी अदा कर सकता है और अगर एक से ज़्यादा की ज़रूरत हो, तो वह ज़रूरत भी पूरी कर सकता है। अल्लाह का हुक्म है—

'तो इनके सिवा जो औरतें तुमको पसन्द हों, दो-दो या तीन-तीन चार-चार उनसे निकाह कर लो, अगर इस बात का अंदेशा हो कि (सब औरतों) से बराबर का व्यवहार न कर सकोगे, तो एक औरत (काफ़ी) है।

(सूरः निसा 30)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में ग़ैलान सक़्फ़ी ने जब इस्लाम क़ुबूल किया, तो उनके पास दस औरतें थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि इन दस बीवियों में से चार को चुन ले और बाक़ी को छोड़ दें।

इसी तरह क़ैस बिन हारिस का कथन है कि मैंने जब इस्लाम क़ुबूल किया तो मेरे पास आठ औरतें थीं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया कि इनमें से चार चुन लो।

चार बीवियों की हद बन्दी क्यों?

1. कई बीवियों से शादी कभी-कभी ज़रूरी हो जाती है, जैसे बीवी बूढ़ी हो गई या सदा मरीज़ रहने लगी हो, इसलिए अगर उस पर रुका रहेगा तो अपनी पाक दामनी को बचाए रखना कठिन है और उस बीवी से बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर उस बूढ़ी या मरीज़ बीवी पर रुका रहता है, तो शहवत को दबाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, बल्कि ज़िना में पड़ जाने का ख़तरा भी लगा हुआ है और अगर तलाक़ देता है तो उस बेचारी को अपनी औलाद से जुदा कर देता है, इसलिए इस मुश्किल का हल कई बीवियों से शादी करना है।

2. शादी लोगों में आपसी ताल्लुक़ पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ने इसे वंश के बराबर ही दर्जा दिया है। अल्लाह का फ़रमान है—

'और वह ज़ात है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया, फिर उसके लिए ख़ून के और ससुराल के रिश्ते बनाए।' (अल-फ़ुर्क़ान 54)

कई शादियां बहुत-से ख़ानदानों को आपस में जोड़े रखती हैं। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर उभारा है।

3. कई बीवियों से औरतों की एक बड़ी तायदाद की हिफ़ाज़त और उनके गुज़ारा-भत्ता और रहने-सहने की ज़रूरत पूरी होती है। इसी तरह औलाद और नस्ल की ज़्यादती भी शरीअत में पसन्दीदा चीज़ है।

4. कुछ मर्दों की शहवत बहुत ही तेज होती है, एक औरत से उसकी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती और वह पाकदामन भी रहना चाहता है, ज़िना से डरता है और हलाल तरीक़े से आनन्दित होना चाहता है, इसलिए अल्लाह की रहमत ने ऐसे लोगों के लिए कई बीवियों के रखने का दरवाज़ा खोल दिया है।

5. याद रहे कई बीवियों के रखने की सिर्फ़ इजाज़त है, वह भी न्याय की शर्त के साथ। अगर न्याय न हो सके तो एक ही को काफ़ी समझना चाहिए और शहवत को कम करने के लिए रोज़ा वग़ैरह रखना चाहिए।

चार की हदबन्दी करने का मक़सद अय्याशी की ओर बढ़ने से रोकना है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक समय में चार बीवियां रखी तो जा सकती हैं, लेकिन शर्तों को पूरा करने के बाद ही।

सातवां अध्याय

निकाह की हिक्मत व मस्लहत

इस मसले की ख़ास बातों का ज़िक्र करने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि हम यक़ीनी तौर पर जान लें कि तमाम शरई हुक्म अपनी-अपनी जगह पर हिक्मत और मस्लहत रखते हैं। इनमें किसी तरह का भी कोई हुक्म नाम के लिए या बेकार नहीं है, इसलिए कि ये हकीम व ख़बीर अल्लाह के बनाए हुए हैं। लेकिन क्या तमाम हुक्म तमाम मख़्लूक़ को मालूम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का इल्म, उसकी फ़िक्र और उसकी अक़्ल एक हद के अन्दर है, इसके लिए मुम्किन नहीं कि हर चीज़ को जान ले और न हर चीज़ की मारफ़त उसे हासिल होती है। अल्लाह फ़रमाता है—

'और तुम्हें तो बहुत थोड़ा ज्ञान मिला है।' (अल-इसरा—85)

इसलिए उन तमाम शरई हुक्मों से, जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए ज़रूरी किया है, राज़ी और ख़ुश होना चाहिए, चाहे उसकी हिक्मत का इल्म हो या न हो, इसलिए कि जिसकी हिक्मत हमें मालूम नहीं, उसका यह मतलब नहीं कि उसमें कोई हिक्मत ही नहीं है, बल्कि उसका मतलब यह है कि हमारी अक़्ल और समझ उस हिक्मत तक पहुंचने और उसको मालूम करने में मजबूर है।

निकाह की कुछ हिक्मतें

1. **शौहर व बीवी दोनों की हिफ़ाज़त**—रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'तुम में से जो आदमी शादी की क़ुदरत रखता हो, उसे चाहिए कि शादी कर ले, इसलिए कि यह निगाह को नीची रखने और शर्मगाह की

हिफ़ाज़त का ज़रिया है।'

2. समाज को बुराई से और चरित्र को बिगड़ने से बचाना—इसलिए कि अगर निकाह न हो तो मर्द व औरत में बहुत-सी बुराइयां और ख़राबियां फैल जाएं।

3. शौहर व बीवी में से हर एक का दूसरे से फ़ायदा व लज़्ज़त उठाना—इसीलिए मर्द औरत की परवरिश करता है और खाना-पीना, रहन-सहन, पहनना-ओढ़ना वग़ैरह ख़र्चे जुटाता है। नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि—

'उनके लिए तुम्हारे ऊपर भले तरीक़े के मुताबिक़ उसका खाना और कपड़ा है।'

औरत भी घर की ज़रूरी चीज़ों की तैयारी और इस्लाह करके मर्द का ख़्याल करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया—

'औरत अपने शौहर के घर की ज़िम्मेदार है और वह अपनी ज़िम्मेदारी की जवाबदेह होगी।' (बुख़ारी)

4. ख़ानदानों और क़बीलों के संबंधों में मज़बूती—बहुत से ऐसे दूर के दो ख़ानदान जिनके दर्मियान आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को पहचानते तक नहीं, लेकिन शादी की वजह से एक दूसरे से क़रीब हो जाते हैं और दोनों के आपस में बड़े अच्छे संबंध बन जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने ससुराल को वंश की नज़ीर बनाया, जैसा कि ऊपर गुज़र चुका।

5. सही-सालिम तरीक़े से मानव-जाति की बक़ा—शादी ही नस्ल की बढ़ोत्तरी की वजह है, जिस पर इंसान की बक़ा टिकी हुई है। अल्लाह फ़रमाता है—

'लोगो! अपने पालनहार से डरते रहो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा यानी बीवी पैदा की और इन दोनों से

बहुत-से मर्द और औरतें फैलाए।' (सूरः निसा 1)

अगर निकाह न हो, तो दो बुराइयों का पैदा होना ज़रूरी है—

(क) इंसान का ख़ात्मा, या फिर

(ख) ज़िनाकारी से हरामी इंसान का पैदा होना, जिसमें न असल का नाम व निशान हो, न चरित्र का ध्यान।

यहां पर उचित मालूम होता है कि नस्ल की हदबन्दी के मुताल्लिक़ कुछ निवेदन कर दूं—

वह यह कि तयशुदा तायदाद के ज़रिए नस्ल की हदबन्दी करना शरीअत के तक़ाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस औरत से शादी का हुक्म दिया है जो बहुत बच्चा जनने वाली हो और इसकी वजह यह बताई कि इसमें दूसरी क़ौमों या नबियों के मुक़ाबले में अपनी तायदाद की ज़्यादती पर गर्व करूंगा।

इसी तरह फ़ुक़्हा ने कहा कि औलाद ज़्यादा पैदा करने में जो औरत मशहूर है, उससे शादी करनी चाहिए। या तो उसी औरत से, इस शक्ल में कि इससे पहले उसकी शादी हो चुकी हो और औलाद के ज़्यादा होने में मशहूर हो चुकी हो या फिर उस औरत के क़रीबी रिश्ते की औरतों से, जैसे उसकी मां, बहन, इस शक्ल में कि इससे पहले उसकी शादी न हुई हो।

बर्थ कन्ट्रोल की ज़रूरत क्यों?

बर्थ कन्ट्रोल की ज़रूरत क्यों है? क्या इस डर से रोज़ी में तंगी हो जाएगी या फिर तर्बियत की मशक़्क़त बढ़ जाएगी?

अगर पहली वजह से यह अमल किया जाए तो यह अल्लाह से बदगुमानी है, इसलिए कि अल्लाह जब किसी मख़्लूक़ को पैदा फ़रमाता है, तो ज़रूर उसको रोज़ी पहुंचाता है, अल्लाह फ़रमाता है—

'और जो जीव दुनिया में है, सब की रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है।'

(सूरः हूद : 6)

दूसरी जगह फ़रमाया—

'और कितने ही जीव ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी आप नहीं उठाते, अल्लाह ही उनको और तुमको रोज़ी देता है और वह सुनने वाला और जानने वाला है।' (सूरः अंकबूत : 60)

एक और जगह पर अल्लाह ने उन लोगों के बारे में फ़रमाया जो भुखमरी के डर से अपनी औलाद को क़त्ल करते हैं—

'हम (अल्लाह) ही तो उनको और तुमको रोज़ी देते हैं।'

(अल-असरा : 31)

और अगर तर्बियत की मशक़्क़त के डर से बर्थ कन्ट्रोल किया जाए, तो यह खुली हुई ग़लती है। बहुत से मां-बाप के कुछ ही लड़के होते हैं, लेकिन उनकी तर्बियत में मां-बाप परेशान हो जाते हैं और बहुत-से मां-बाप ऐसे भी होते हैं कि उनकी औलाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी आसानी से सब की तर्बियत कर ले जाते हैं, इसलिए तर्बियत तो अल्लाह की दी हुई आसानी पर निर्भर होती है, इसलिए बन्दा जितना ही अल्लाह का तक़्वा अपनाएगा, और शरई हुक्मों के मुताबिक़ चलेगा, अल्लाह उसके मामले को आसान फ़रमा देगा। अल्लाह फ़रमाता है—

'जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देगा।' (सूरः तलाक़—4)

जबकि बर्थ कन्ट्रोल शरीअत के सरासर ख़िलाफ़ है।

अब यह सवाल उठता है कि क्या बच्चे की मां की हालत पर नज़र रखते हुए मुनासिब तरीक़े से परिवार नियोजन इसी हुक्म में आता है?

मुनासिब तरीक़े से परिवार नियोजन अगर बच्चे की मां की हालत को सामने रख कर हो तो यह बर्थ कन्ट्रोल में दाख़िल नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब यह है कि मियां-बीवी या इनमें से कोई एक ऐसा

तरीक़ा अपनाए जिससे कभी-कभी हमल न ठहरे तो यह जायज़ है। यह उस वक़्त है जब इससे शौहर व बीवी दोनों राज़ी हो।

जैसे बीवी कमज़ोर हो और हमल से और ज़्यादा कमज़ोरी का डर हो या किसी मर्ज़ में फंस जाने का डर हो और बहुत जल्द ही हमल ठहर जाता हो, तो शौहर की इजाज़त से उन गोलियों का इस्तेमाल कर सकती है जो किसी ख़ास मुद्दत के लिए हमल को रोक दे। सहाबा किराम रज़ि० नबी अक्रम सल्ल० के ज़माने में अज़्ल किया करते थे और उन्हें रोका नहीं गया। अज़्ल उस सम्भोग से हमल रोकने का एक तरीक़ा है जिस जिमाअ में अज़्ल किया जाता है।

आठवां अध्याय

निकाह के बाद के हुक्म

निकाह के बाद बहुत-सी बातें सामने आती हैं, जिनके हुक्म अलग-अलग हैं, नीचे उनमें से कुछ का ज़िक्र किया जा रहा है—

1. मह्र

मह्र वही चीज़ है, जिसे अरबी में (जहाज़) कहते हैं।

निकाह की वजह से औरत के लिए मह्र वाजिब हो जाती है, चाहे उसके लिए शर्त लगाई हो या न लगाई गई हो।

मह्र वह माल है जिसे निकाह की वजह से बीवी को देना पड़ता है। अगर तय किया गया हो, तो उतना ही मिलेगा, जितना कि तय किया गया है चाहे कम या ज़्यादा और अगर तय न किया गया हो और निकाह इस हाल में पढ़ा दिया गया हो कि मह्र न बांधा गया हो और किसी चीज़ का नाम भी न लिया गया हो, तो ऐसे मौक़े पर शौहर के लिए ज़रूरी है कि बीवी को मह्रे मिस्ल दे और मह्र मिस्ल वह मह्र है जो उसके ददिहाल में उस जैसी औरत के लिए राइज हो।

माल और मालियत के क़ाबिल जो चीज़ नफ़ा देनी वाली हो, वह मह्र बन सकती है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक औरत की शादी एक मर्द से इस मह्र पर कर दी कि उसे कुछ क़ुरआन मजीद सिखा दे।

शरीअत के एतबार से मह्र कम होना चाहिए। मह्र जितना कमहो, आसान हो, वह अफ़ज़ल है और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी भी है और बरकत का हासिल करना भी।

वह निकाह सबसे ज़्यादा बरकत वाला है जो ख़र्च के एतबार से बहुत

कम हो।

इमाम मुस्लिम ने यह रिवायत नक़्ल की है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आकर अर्ज़ किया कि मैंने एक औरत से शादी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मालूम किया कि कितना मह्र दिया है?

उसने अर्ज़ किया, 'चार अवाक़' (यानी एक सौ साठ दिरहम)

यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, 'चार अवाक़'? ऐसा लगता है कि तुम उस पहाड़से चांदी खोद कर लाते हो, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं कि तुमको दें, लेकिन हो सकता है कि तुमको एक मुहिम पर भेजें और उसमें तुमको कुछ हाथ आए।'

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है कि औरतों के मह्र में ज़्यादती मत करो। अगर यह दुनिया में कोई इज़्ज़त या आख़िरत में तक़्वा होता तो अल्लह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सबसे ज़यादा मह्र बांधते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी किसी बीवी के लिए और न किसी लड़की के लिए बारह औक़िया (480 दिरहम) से ज़्यादा मह्र नहीं बांधा। (एक औक़िया चालीस दिरहम के बराबर होता है)

इधर कुछ दिनों से मह्र की ज़्यादती ने समाज में बहुत ही बुरे प्रभाव छोड़े हैं। और मर्द और औरत में बहुतों को शादी से रोक दिया है, जिसके नतीजे में एक मर्द कई साल सिर्फ़ मह्र की रक़म जमा करने की भेंट चढ़ा देता है, जिससे बहुत से फ़ित्ने खड़े हो जाते हैं। कुछ का ज़िक्र नीचे किया जाता है—

(1) बहुत से मर्दों और औरतों का निकाह ही न करना,

(2) लड़की वाले मह्र की कमी-ज़्यादती ही की ओर देखते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक तो मह्र कमाई का बेहतरीन ज़रिया है। जब ज़्यादा देखते हैं, तो शादी कर देते हैं और नतीजे की ओर बिल्कुल निगाह नहीं करते

और अगर कम होता है तो निकाह करने से इंकार कर देते हैं, चाहे लड़का दीन व अख़्लाक़ के एतबार से कितना ही अच्छा हो।

(3) जब मियां-बीवी के बीच ताल्लुक़ात ख़राब हो जाते हैं और मह्र इतना ज़्यादा होता है कि मर्द आसानी से एहसान के साथ छोड़ नहीं पाता, तो औरत को तक्लीफ़ पहुंचाता और थका मारता है, ताकि औरत अदा किए हुए मह्र में से कुछ वापस कर दे। और अगर मह्र कम हो तो छोड़ना आसान होता है। अगर लोग मह्र के मामले में बीच का रास्ता अपनाएं और उसमें एक दूसरे की मदद करें और बड़े लोग इसे लागू करने की कोशिश करें तो समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा और सुकून व राहत हासिल होगी और बहुत से मर्दों और औरतों की पाकदामनी बची रहेगी।

लेकिन अफ़सोस यह है कि आज लोग मह्र बढ़ाने के मुक़ाबले में लगे हुए हैं। हर साल उसमें कुछ ऐसी चीज़ की बढ़ोत्तरी करते चले आ रहे हैं जिन्हे पहले कोई नहीं जानता था अब अल्लाह ही को मालूम है कि यह बात कहां तक पहुंचेगी।

पहले कुछ लोग, ख़ास तौर पर देहात में रहने वाले मह्र का एक आसान रास्ता इख़्तियार करते थे, वह यह कि मह्र के कुछ हिस्से को देर से अदा करते थे, जैसे इस तरह शादी करते थे कि मह्र इतना होगा जिसका आधा अभी अदा होगा और आधा एक साल या उससे कम व बेश में अदा होगा। यह तरीक़ा शौहर के लिए आसानी का ज़रिया था।

2. नफ़क़ा (गुज़ारा-भत्ता)

शौहर पर ज़रूरी है कि अपनी बीवी पर ख़ुशदिली से ख़र्च करे और उसे खाना-कपड़ा, मकान महैया करे और ज़रूरतों में कंजूसी करेगा, तो गुनाहगार होगा। और औरत पर ज़रूरी है कि शौहर के माल में से रिवायत के साथ ले और अगर शौहर से क़र्ज़ ले तो अदा करना ज़रूरी है।

शादी के ख़र्चों में से वलीमा भी है। वलीमा वह खाना है जो शौहर शादी के दिनों में तैयार करता है और लोगों को खिलाता है। यह एक ऐसी सुन्नत है जिसका ताकीद से हुक्म दिया गया है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुद भी किया है और हुक्म भी दिया है, लेकिन दावत वलीमा में इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है कि हराम की हद तक फ़ुज़ूलख़र्ची करे, बल्कि चाहिए तो यह कि शौहर की हालत और पोज़ीशन के मुताबिक़ ख़र्च किया जाए।

कुछ लोग इस सिलसिले में मिक़्दार और कैफ़ीयत दोनों हिसाब से फ़ुज़ूलख़र्ची करते हैं, वह जायज़ नहीं, इसमें माल बर्बाद होता है।

3. शौहर-बीवी के आपसी ताल्लुक़

अल्लाह शौहर और बीवी के दर्मियान मुहब्बत, लगाव और दया-भाव पैदा कर देता है और मुहब्बत व लगाव का यह मिलन व ताल्लुक आदत के हिसाब से बहुत से हक़ों का तक़ाज़ा करता है, इसलिए जब भी आपसी ताल्लुक़ बढ़ेगा, तो इस ताल्लुक़ के मुताबिक़ हक़ भी वाजिब होंगे।

4. हुर्मत

इसमें शौहर अपनी बीवी की मांओं और दादियों के लिए महरम होगा, इसी तरह बीवी की लड़कियों और पोतियों के लिए महरम होगा। इस सूरत में कि उनकी मां (अपनी बीवी) से सम्भोग हुआ हो। इसी तरह बीवी शौहर के बाप-दादा और बेटों और पोतों के लिए महरम होगी।

5. विरासत

जब कोई व्यक्ति किसी औरत से सही निकाह करे, तो उन दोनों के दर्मियान विरासत लागू होगी, अल्लाह के इस कथन की वजह से कि—

'और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़कर मरें, अगर उनके औलाद न हों, तो उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा और औलाद हों तो तर्के में तुम्हारा हिस्सा

चौथाई (लेकिन यह बंटवारा) वसीयत (के पूरा करने) के बाद जो उन्होने की हो या क़र्ज़ के (अदा होने के बाद जो उनके ज़िम्मे हो जाएगी)।

(सूर: निसा 12)

चाहे बीवी से सम्भोग और ख़लवत हुई हो या न हुई हो, इससे विरासत में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।

नवां अध्याय

तलाक़ का शरई हुक्म और उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें

तलाक़ असल में बीवी को छोड़ना है, शब्दों से या लिखकर या इशारे से।

शरई एतबार से तलाक़ एक नापसन्दीदा अमल है, इसलिए इससे निकाह के फ़ायदे और उसकी मस्लहतें ख़त्म हो जाती हैं, ख़ानदान बिखर जाता है। हदीस के शब्दों में—

'अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा हलाल चीज़ तलाक़ है।' (अबू दाऊद)

लेकिन कभी-कभी तलाक़ ज़रूरी हो जाती है या तो औरत के अपने शौहर के पास रहने में तक्लीफ़ों और परेशानी से छुटकारे के लिए या मर्द को औरत से पहुंचने वाली तक्लीफ़ों और परेशानियों की वजह से या फिर इसके अलावा दूसरे मक्सदों और ज़रूरतों की बुनियाद पर। यही वजह है कि इसे अल्लाह की रहमत ने अपने बन्दे के लिए जायज़ क़रार दे दिया और तंगी व परेशानी सहन करते रहने पर मजबूर नहीं किया।

इसलिए जब कोई मर्द किसी औरत को नापसन्द करे और उसके सब्र का पैमाना छलछला उठे, तो इसमें कोई हरज नहीं कि उसको तलाक़ दे दे, लेकिन तलाक़ देते वक़्त नीचे लिखी बातों का ख़्याल रखना ज़रूरी है।

1. हैज़ की हालत में तलाक़ देने से मना किया गया—अगर हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की और हराम काम किया। उस वक़्त उस पर वाजिब है कि रुजू करे और अपने पास रखे, यहां तक कि वह पाक हो जाए, फिर उसको तलाक़ दे दे अगर चाहे। बेहतर यह है कि उस वक़्त तक रोके रखे, यहां तक कि दूसरी बार हैज़ आ जाए। जब दूसरी बार के हैज़ से पाकी हासिल कर ले,

अगर चाहे तो उसको रोक ले और अगर चाहे तो तलाक़ दे दे।

2. उस तुहर में तलाक़ न दे जिसमें जिमाअ (सम्भोग) किया हो, यहां तक कि हमल ठहरा है या नहीं, स्पष्ट हो जाए।

जब आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देने का इरादा उस वक़्त करे, जब उससे हैज़ के बाद सम्भोग कर चुका हो, तो उस वक़्त तक तलाक़ न दे, यहां तक कि दोबारा हैज़ आ जाए, फिर उससे पाक हो जाए। अगरचे उसमें मुद्दत लंबी हो जाए, इसके बाद अगर चाहे तो सम्भोग से पहले तलाक़ दे दे। लेकिन अगर हमल ज़ाहिर हो जाए या पहले से हामिला हो, तो उसमें कोई हरज नहीं कि तलाक़ दे दे। अल्लाह का फ़रमान—

'ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! जब आप औरतों को तलाक़ देना चाहें तो उनकी इद्दत में तलाक़ दे दिया करें।' (सूरः तलाक़ : 1)

हज़रत इब्नि अब्बास रज़ि० ने फ़रमाया कि औरत को हैज़ की हालत में तलाक़ दे और न उस तुह्र में, जिसमें सम्भोग किया हो, बल्कि उस वक़्त तक छोड़े रखे, जब तक कि एक हैज़ न आ जाए। हैज़ के बाद जब पाकी हो जाए तो एक तलाक़ दे सकता है।

3. **एक वक़्त में एक से ज़्यादा तलाक़ न दी जाए**—यह कहना सही नहीं कि तुमको दो तलाक़ या तुमको तीन तलाक़ या तम पर तलाक़, तुम पर तलाक़, तुम पर तलाक़। तीन तलाक़ एक साथ देना हराम है, इसलिए कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह रिवायत नक़ल की गई है कि आपने एक ऐसे आदमी के बारे में फ़रमाया, जिसने अपनी औरत को तीन तलाक़ें दी थी। क्या मेरे रहते हुए अल्लाह की किताब से खेला जा रहा है? इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और कहा—

'हे अल्लाह के रसूल सल्ल०! इसको क़त्ल न कर दूं?'

बहुत से लोग तलाक़ के हुक्मों को नहीं जानते, ईसलिए जब भी उन्हें तलाक़ देने की ज़रूरत महसूस हुई तो वक़्त और तलाक़ की तायदाद को देखे बग़ैर तलाक़ दे देते हैं। बन्दों के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की

दसवां अध्याय

तलाक़ के कुछ मसले

चूंकि तलाक़ से बीवी जुदा हो जाती है, इसलिए इस जुदाई की वजह से बहुत-से हुक्मों की ज़रूरत होती है, उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं—

1. बीवी से सम्भोग और तख़लिया की शक्ल में बीवी पर इद्दत गुज़ारना वाजिब है और अगर सम्भोग और तख़लिया नहीं हुआ है, तो बीवी पर इद्दत नहीं है, इसलिए अल्लाह ने फ़रमाया—

'मुसलमानो ! जब तुम ईमानदार औरतों से निकाह करो, फिर सम्भोग से पहले ही उनको तलाक़ दे दो, तो तुम्हारा उन पर इद्दत का कोई हक़ नहीं कि तुम उस इद्दत को गिनते रहो।' (सूरः अहज़ाब 49)

इद्दत की मुद्दत तीन हैज़ है अगर औरत हैज़ वाली है और हैज़ वाली न हो तो तीन माह और अगर हमल वाली हो तो बच्चे के जनने तक।

2. अगर इस तलाक़ से पहले दो तलाक़ दे चुका हो तो शौहर के लिए बीवी हराम हो जाती है—इसका मतलब यह है कि अगर शौहर ने बीवी को एक तलाक़ दी, फिर इद्दत के अन्दर ही रुजू कर लिया या इद्दत के बाद उसी से शादी कर ली, फिर दोबारा तलाक़ दी और इद्दत के अन्दर रुजू कर लिया और इद्दत के बाद शादी कर ली, इसके बाद तीसरी बार तलाक़ दी तो अब यह बीवी उस वक़्त तक हलाल न होगी, जब तक कि दूसरे शौहर से सही तौर पर शादी और उससे सम्भोग न करे। सही निकाह और सम्भोग के बाद दूसरा शौहर तलाक़ दे दे, तभी पहले शौहर के लिए वह लाल हो सकती है, अल्लाह का फ़रमान है—

'(रजई) तलाक़ें दो हैं, फिर या तो दस्तूर के मुताबिक़ रोक ले या भलाई के साथ विदा कर दे।' (सूरः बक़रः 229)

यहां तक कि आगे फ़रमाया—

क़ायम की हुई हदों के पाबन्द रहें और उन्हें फांदें नहीं। अल्लाह ने फ़रमाया—

'जिसने अल्लाह की हदों को फांदा, उसने अपने ऊपर ज़ुल्म किया।'

(सूरः तलाक़)

और फ़रमाया—

'और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे, वे गुनाहगार होंगे।' (अल-बक़रः 259)

'फिर अगर तीसरी तलाक़ उसको दे, तो वह उसके लिए हलाल न होगी जब तक कि उसके सिवा और ख़ाविंद से निकाह न करे, फिर अगर दूसरा ख़ाविंद उसको तलाक़ दे और इद्दत भी गुज़र जाए तो इन दोनों को आपस में मिलाप करने में कोई गुनाह नहीं अगर जानें कि अल्लाह का हुक्म अदा कर सकेंगे। ये अल्लाह की हदें हैं, जो जानने वालों के लिए खोल-खोलकर बयान करता है।' (सूर: बक़र: 230)

अल्लाह ने औरत को उस शौहर के लिए हराम कर दिया है, जिसने उसे तीन तलाक़ दे दी है और यह हुर्मत उस वक़्त तक बाक़ी रहेगी जब तक कि दूसरे शौहर से उसकी शादी न हो जाए और यह इसलिए कि इस्लाम के शुरू के दौर में लोग मनमानी तायदाद में तलाक़ देते थे और रुजू कर लेते थे।

एक बार की बात है कि एक आदमी को अपनी औरत पर गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तुझको पनाह दूंगा और न ही छोड़ूंगा।

उसकी बीवी ने पूछा, यह कैसे?

उसने कहा कि तलाक़ दूंगा और जब इद्दत ख़त्म होने को आएगी तो रुजू कर लूंगा, फिर तलाक़ दूंगा और जब इद्दत ख़त्म होने को आएगी तो रुजू कर लूंगा।

औरत ने यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शिकायत की, तो अल्लाह ने यह हुक्म उतारा—

'रजई तलाक़ें दो हैं।' और औरतों को अपने शौहरों के ज़ुल्म से बचाने के लिए तीन तलाक़ तय कर दिया।

मेरे भाइयो! उम्मीद है कि निकाह से मुताल्लिक़ काफ़ी मसाइल और हुक्म आपके सामने आ गए। इसमें इसी का ख़ास तौर पर ख़्याल रखा गया है कि इस किताब में ज़रूरी और मुनासिब मसाइल आ जाएं और इतना लम्बा न हो कि पढ़ने वाला उकता जाए और न इतना थोड़ा हो कि बात साफ़ न होने पाए।

अल्लाह से दुआ है कि इसका फ़ायदा आम हो और इस अमल को अपने लिए ख़ास और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ बनाए और इस उम्मत में एक ऐसी नस्ल तैयार फ़रमाए जो अल्लाह के हुक्मों को जाने, उसकी हदों की हिफ़ाज़त करे, करने, न करने के हुक्मों पर क़ायम हो और ख़ुदा के बन्दों के लिए रहनुमा हो।

रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बा-द इज़ हदैतना व हब लना मिल-लदुन-क रहमतन इन्न-क अन्तल वह्हाब. . . रब्बना आतिना फ़िद-दुन्या ह-स-न-तंव-व फ़िल आख़िरति ह-स-न-तंव व क़िना अज़ाबन्नार०. . . . व सल्लल्लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व सल्लम०